भारत सरकार

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1904

मंगलवार, दिनांक 05 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

शीत भंडारण सुविधाओं और रिफ्रिजरेटरों में सौर ऊर्जा का उपयोग

1904. श्री गोविंदभाई लालजीभाई ढोलकियाः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार शीत भंडारण सुविधाओं और रेफ्रिजरेटर में सौर ऊर्जा के उपयोग पर शोध करने के लिए राज्य सरकारों के साथ सहयोग कर रही है;

(ख) रेफ्रिजरेटेड पार्सल वैगनों में सौर ऊर्जा के अनुप्रयोग का पता लगाने के लिए रेल मंत्रालय और अन्य हितधारकों के साथ साझेदारी में मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) मंत्रालय ने सौर ऊर्जा उपकरणों से उत्पन्न कचरे के निपटान के लिए एक समर्पित प्रणाली स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के परामर्श से क्या उपाय लागू किए हैं?

उत्तर

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) मंत्रालय ने राज्यों में गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए, दिनांक 11 फ़रवरी 2025 को 'तापीय ऊर्जा भंडारण बैकअप सहित सौर कोल्ड स्टोरेज प्रणालियों के डिज़ाइन, प्रदर्शन और परीक्षण मानकों' पर एक व्यापक दिशानिर्देश अधिसूचित किया है। मंत्रालय, सौर कोल्ड भंडारण सहित सभी नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास को भी बढ़ावा देता है।

(ख) अब तक ऐसी किसी साझेदारी की संभावना नहीं तलाशी गई है।

(ग) अभी तक ऐसा कोई उपाय लागू नहीं किया गया है। तथापि, सौर ऊर्जा उपकरणों, विशेष रूप से सौर पीवी मॉड्यूलों से उत्पन्न कचरे (अपशिष्ट) का पुनर्चक्रण पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 के अंतर्गत शामिल है। इन नियमों के अंतर्गत निर्माताओं और उत्पादकों के लिए एक पोर्टल पर पंजीकरण करना, उत्पन्न ई-अपशिष्ट का उचित भंडारण करना, और वार्षिक रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है। ये नियम अपशिष्ट के प्रोसेसिंग की समस्या का समाधान करते हैं, प्रासंगिक दिशानिर्देशों के अनुपालन सुनिश्चित करते हैं, तथा पोर्टल पर सौर पीवी मॉड्यूलों का एक सूची रखते हैं।

*****